राजस्थान–सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान–जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग/पदौ0/नर्स–1/एफ–144/19/ दिनांकः

आदेश

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0 जयपुर के आदेश कमांक– नर्सिंग/पदौ0/नर्स–1/एफ–144/18/176 दिनांक 07.09.18 के द्वारा नर्स द्वितीय से नर्स प्रथम के पद पर पदौन्नत कार्मिको की पदस्थापन सूची मे क्रम सख्या 392 पर अकित कार्मिका श्रीमति प्रभजोत कौर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर मे एसबी सिविल रिट संख्या 2317/2019 दायर की गई है, जिसके कम में माननीय न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 18.2.19 को निम्न निर्णय पारित किया गया है –

In view of the submissions made, the petitioner may approach the respondents with appropriate represantation mentioning all the facts & raising her grievances and it is expected from the respondents to decide the represantation most expeditiously preferably within a period of three weeks from the date the represantation is made along with a copy of this order.

In case the petitioner has any grievance qua the disposal of the representation, she would be free to take appropriate proceedings in accordance with law.

The writ petition stands disposed of accordingly.

उक्त निर्णय के परिपेक्ष्य में कार्मिका द्वारा दिनाक 26.02.19 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके कम में लेख है कि निदेशालय द्वारा नर्स श्रेणी द्वितीय से नर्स श्रेणी प्रथम पद पर डीपीसी आयोजित की जाकर कार्मिकों को पदौन्नतियां दी गई थी, जिसके उपरांत सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात जारी पदस्थापन सूची मे सभी पदौन्नत कार्मिकों का पदस्थापन निदेशालय के आदेश दिनांक 07.09.18 के द्वारा जारी सूची में किया गया था। जिसमें कार्मिका को भी उपलब्ध रिक्त पद अनुसार पीएचसी ढाबा झालर, गंगानगर मे पदस्थापित किया गया था। चूंकि कार्मिका का पदस्थापन उपलब्ध रिक्तियो के आधार पर किया गया है, अतः कार्मिका का अभ्यावेदन एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(मुकुल शर्मा)
अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें,
राज0 जयपुर

क्रमांक. नर्सिंग/पदौ0/नर्स–1/एफ–144/19/57 दिनाक. 13/03/19

प्रतिलिपि.– निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चि0 एव स्वा0 विभाग, राज0 जयपुर।
2. उपशासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा0 (ग्रुप 3) विभाग, राज0 जयपुर।
3. सबंधित प्रशासनिक अधिकारी।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वा0 सेवायें,
राज0 जयपुर